

## जुलाई 2023

### PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **पर्यावरण**
  - वन अधियक, 2023
- **गृह मामले**
  - जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधियक, 2023
- **सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
  - नयित्तरति मानव संकरमण अधिययन पर नीतविकत्व्य जारी
- **समन्वय**
  - बहु-राज्यीय सहकारी समतिि (संशोधन) अधियक, 2022
- **शिक्षा**
  - भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधियक, 2023
  - UGC ने सीधी भरती हेतु न्यूनतम मानदंड में संशोधन कथिा
  - वशिववदियालय उद्योग लकिेज प्रणाली
- **सामाजिक न्याय**
  - संवधिन (अनुसूचति जनजात) आदेश, 1950
  - संवधिन (अनुसूचति जात) आदेश (संशोधन) अधियक, 2023
  - संवधिन (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचति जात आदेश संशोधन अधियक, 2023
- **रक्षा**
  - अंतर-सेवा संगठन अधियक, 2023
- **कृषि**
  - तटीय जलकृषि प्राधकिरण (संशोधन) अधियक, 2023
  - कृषि मशीनीकरण पर रपिीरट
- **वतित**
  - FPI नविश पर परामर्श पत्र जारी
  - सेबी द्वारा ESG रेटगि प्रदाताओं के वनियिमन हेतु रूपरेखा
  - साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलेपन ढाँचे पर परामर्श पत्र जारी
  - डेबटि, क्रेडिटि और प्रीपेड कार्ड जारी
  - RBI द्वारा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रपिीरट जारी
  - साइबर सुरक्षा पर स्थायी समतििने अपनी रपिीरट सौपी
- **नागरकि उडडयन**
  - राष्ट्रीय नागरकि उडडयन नीत, 2016
  - हवाई अडडों के वकिस पर रपिीरट प्रसतुत की
- **वदिशी मामले**
  - भारत की पडोसी प्रथम नीतपर स्थायी समतििकी रपिीरट
- **संस्कृति**
  - राष्ट्रीय अकादमयिों के कामकाज पर रपिीरट
- **ऊरजा**
  - वदियुत (संशोधन) नयिम, 2023
- **पशु कल्याण**
  - पशु कसूरता रोकने के लयि मसौदा
- **वजिज्ञान एवं तकनीक**
  - राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीत, 2023

## वन अधियक, 2023

- वन (संरक्षण) संशोधन अधियक, 2023 लोकसभा में पारित कर दिया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि का उपयोग करने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- अधियक वन भूमि को परभाषित करता है और भूमि की कुछ श्रेणियों को कानून के दायरे से छूट देता है।
  - छूट में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये 10 हेक्टेयर तक की भूमि शामिल है।
  - अधियक जंगलों के अंदर चड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएँ संचालित करने की भी अनुमति देता है।
  - अधियक पर संयुक्त समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

### अधियक के मुख्य बंदी और रिपोर्ट के मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:

- अधिनियम के दायरे में आने वाली भूमि: अधियक के अनुसार, अधिनियम नमिन प्रकार की भूमि पर लागू होगा:
  - किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित भूमि
  - सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद वन के रूप में अधिसूचित।
- समिति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (1996) ने माना था कि सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र अधिनियम के दायरे में आएगा।
- इसमें 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन के रूप में दर्ज भूमि शामिल होगी।
- असहमतों के एक नोट के अनुसार, 1950-70 के दशक (ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन) के दौरान वन विभाग को हस्तांतरित वन भूमि के बड़े हिस्से को किसी भी कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।
- ये जैवविविधता के हॉटस्पॉट हैं और वर्तमान में अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। इसमें कहा गया है कि इस वन भूमि को बाहर करने से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कमजोर हो जाएगा।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि अधियक की प्रयोज्यता की दूसरी शर्त में 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन के रूप में दर्ज ऐसी भूमि भी शामिल है।
- अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त भूमि: भूमि की छूट वाली श्रेणियों में कूटनीतिक राष्ट्रीय महत्त्व या सुरक्षा की लीनियर परियोजनाओं के लिये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, LOC या LAC के साथ 100 किमी. के भीतर की वन भूमि शामिल है।
- असहमतों के एक नोट में यह भी कहा गया है कि अधियक हिमालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों को अधिनियम के दायरे से छूट देता है जो प्रांतीय जैवविविधता से समृद्ध हैं।
- इस तरह की व्यापक छूट के परिणामस्वरूप चरम मौसम की घटनाओं के कारण प्रकृति, जैवविविधता और बुनियादी ढाँचे पर असर पड़ेगा।

## गृह मामले

### जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधियक, 2023

- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधियक, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया।
- अधियक जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
  - अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन जम्मू एवं कश्मीर (वधानसभा के साथ) और लद्दाख (वधानसभा के बिना) केंद्रशासित प्रदेश के रूप में करता है।
- वधानसभा में सीटों की संख्या: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची वधानसभाओं में सीटों की संख्या का प्रावधान करती है।
  - 2019 के अधिनियम ने जम्मू एवं कश्मीर वधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 नरिदष्टि करने के लिये 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया।
  - 2019 के अधिनियम में अनुसूचित जाति हेतु छह सीटें आरक्षण की गईं लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिये कोई सीट आरक्षण नहीं की गई।
  - अधियक सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 90 करता है। इसमें अनुसूचित जाति के लिये सात सीटें और अनुसूचित जनजाति हेतु नौ सीटें भी आरक्षण हैं।
    - इसके अलावा अधिनियम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में नरिवाचन क्षेत्रों के लिये 24 सीटें आवंटित करने का प्रावधान करता है।
- कश्मीरी प्रवासियों के लिये नामांकन: अधियक में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को वधानसभा में नामित कर सकते हैं। नामित सदस्यों में एक महिला होनी चाहिये।
- प्रवासियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परभाषित किया गया है जो 1 नवंबर, 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू एवं कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए।
- प्रवासियों में वे व्यक्त भी शामिल हैं जिनका पंजीकरण नमिनलखित कारणों से नहीं हुआ है:
  - किसी मूविंग ऑफिस में सरकारी सेवा में होने के कारण
  - काम के लिये चले जाने के कारण
  - जसि स्थान से वे प्रवासित हुए हैं, वहाँ उनके पास अचल संपत्ति है लेकिन वे अशांत परिस्थितियों के कारण वहाँ नवास करने में असमर्थ हैं।

## नयित्तरति मानव संक्रमण अध्ययन पर नीतिविक्रतव्य जारी

- भारतीय चकितिसा अनुसंधान परषिद (ICMR) ने 'भारत में नयित्तरति मानव संक्रमण अध्ययन का नैतिक आचरण' पर मसौदा सर्वसम्मतिनीति वक्रतव्य जारी कथि।
- इन अध्ययनों में जान-बुझकर स्वस्थ मानव स्वयंसेवकों को नयित्तरति परस्थितियों में एक वशिषिट पैथोजन के संपर्क में लाना शामिल है।
- इससे रोगजनक की प्रकृति, उसके संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को समझने और टीके एवं उपचार विकसति करने में मदद मलिंगी।
- इस तरह के अध्ययनों के वैज्ञानिक लाभों के बावजूद कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं जैसे- जान-बुझकर नुकसान पहुँचाना, अनुपातहीन भुगतान और कमजोर प्रतभागियों के साथ शोध। मसौदा नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए नैतिक चिंताओं का समाधान करना है कि इस तरह के शोध आयोजति कथि जा सकते हैं।

## नीतिकी मुख्य वशिषिताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **जमिमेदार तरीके से अनुसंधान करना:** नयित्तरति मानव संक्रमण अध्ययन नैदानिक परीक्षणों में व्यापक अनुभव और सदिध अकादमिक/अनुसंधान उत्कृष्टता वाले संस्थानों द्वारा कथि जाना चाहिये। मनुष्यों पर स्वास्थ्य अनुसंधान के लयि शोधकर्ताओं को मौजूदा ICMR के नैतिक दिशा-नरिदेशों के अनुसार प्रशिक्षति कथि जाना चाहिये। चूँकि अनुसंधान क्षेत्र जटलि है, इसलयि वभिन्नि शोधकर्ताओं और संस्थानों के बीच सहयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित कथि जाता है।
- **नैतिक सुरक्षात्मक उपाय:** प्रतभागियों को अध्ययन की वसितृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिये और कोई भी अध्ययन करने से पहले लखिति सूचित सहमति ली जानी चाहिये।
- इसके अलावा प्रतभागियों को 18-45 वर्ष आयु वर्ग का स्वस्थ वयस्क होना चाहिये जो परोपकारी उद्देश्यों से भाग ले रहे हों।
- सनातकों को प्राथमकता दी जा सकती है। कमजोर सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति वाले व्यक्तियों को फलिहाल बाहर रखा जाना चाहिये।
- चूँकि ऐसे अध्ययनों से एकत्र कथि गया डेटा संवेदनशील होता है, इसलयि इसका उपयोग अध्ययन के उद्देश्य तक ही सीमति होना चाहिये।
- ICMR राष्ट्रीय नैतिक दिशा-नरिदेश, 2017 के तहत गठति आचार समति द्वारा अनुपालन के लयि इन अध्ययनों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- **प्रतभागियों को क्षतपूरति:** शोधकर्ता चकितिसीय परेशानी और कसि भी अन्य असुवधि को ध्यान में रखते हुए प्रतभागियों को प्रतपूरति कर सकते हैं।
  - अध्ययन से जुड़े अज्ञात जोखमि/नुकसानों के मामले में पर्याप्त बीमा प्रावधान होने चाहिये।

## समन्वय

## बहु-राज्यीय सहकारी समति (संशोधन) वधिषिक, 2022

- लोकसभा द्वारा बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) वधिषिक, 2022 पारति कथि गया। यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधनियम, 2002 में संशोधन करता है।
- बहु-राज्य सहकारी समतियों एक से अधिक राज्यों में संचालति होती हैं।

## वधिषिक के मुख्य प्रावधानों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बोर्ड के सदस्यों का नरिवाचन:** अधनियम के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समति के बोर्ड का नरिवाचन उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा कथि जाता है। वधिषिक इसमें संशोधन करता है और नरिदषिट करता है कि केंद्र सरकार सहकारी नरिवाचन प्राधिकरण बनाएगी जो कि नमिनलखिति कार्य करेगा:
  - नरिवाचन करना।
  - मतदाता सूची को तैयार करने से संबंधति मामलों का नरिीक्षण, नरिदेशन और उसका नयित्रण करना।
  - अन्य नरिदषिट काम करना।
- प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। केंद्र सरकार चयन समति के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नयिकृति करेगी।
- **शकियतों का नवारण:** वधिषिक के अनुसार, केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नयिकृति करेगी।
- लोकपाल नमिनलखिति के संबंध में सहकारी समतियों के सदस्यों की शकियतों की जाँच करेगा:
  - उनकी जमा
  - समति के कामकाज के उचित लाभ
  - सदस्यों के व्यक्तगत अधिकारों को प्रभावति करने वाले मुद्दे
- लोकपाल शकियत प्राप्त होने के तीन महीनों के भीतर जाँच और अधनिरिणय की प्रक्रिया को पूरी करेगा। लोकपाल के नरिदेशों के खिलाफ एक महीने के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार (जसिकी नयिकृति केंद्र सरकार करती है) के पास अपील दायर की जा सकती है।
- **सहकारी समतियों का एकीकरण:** अधनियम में बहु-राज्यीय सहकारी समतियों के एकीकरण और वभिजन का प्रावधान है।
  - यह सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पारति करके कथि जा सकता है। इसके लयि उपस्थति और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तहिाई सदस्यों की आवश्यकता होती है।
  - वधिषिक सहकारी समतियों (राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत) को मौजूदा बहु-राज्यीय सहकारी समति में वलिय होने की अनुमति देता है।
  - इस वलिय के लयि आम बैठक में सहकारी समति के मौजूदा और वोट देने वाले दो-तहिाई सदस्यों को प्रस्ताव पारति करना होगा।

## शकिया

## भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) वधियक, 2023

- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) वधियक, 2023 भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है।
  - अधिनियम भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है और उनके कामकाज को नयित्तरि करता है।
  - IIM प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता है।
- **आगंतुक/वज्रिटिः** वधियक भारत के राष्ट्रपति को अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संस्थान के आगंतुक के रूप में नामति करता है।
  - आगंतुक को नमिनलखिति शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जनिमें शामिल हैं:
  - IIM के कामकाज की जाँच शुरू करना।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करना।
  - समन्वय मंच के अध्यक्ष की नियुक्ति करना।
- **IIM के नदिशकों की नियुक्ति और नषिकासन:** अधिनियम के तहत IIM के नदिशक की नियुक्ति एक सर्च-कम-सलैक्शन समति के सुझावों के आधार पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है।
- वधियक बोर्ड को संस्थान का नदिशक नियुक्त करने से पहले आगंतुक की पूर्व मंजूरी लेने का आदेश देता है। नदिशक के चयन की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारति की जाएगी।
- अधिनियम के तहत सर्च समति में बोर्ड का एक चेयरपर्सन होता है और तीन सदस्य प्रतषिठित प्रशासकों, उद्योगपतियों, शक्तिषावर्दों में से चुने जाते हैं। वधियक इन सदस्यों की संख्या को घटाकर दो करता है तथा आगंतुक द्वारा नामति एक और सदस्य को जोड़ता है।
- अधिनियम के तहत बोर्ड नमिनलखिति आधार पर नदिशक को पद से हटा सकता है:
  - दवालियापन
  - मानसकि और शारीरकि अक्षमता
  - हतियों का टकराव
- वधियक में कहा गया है कि नदिशक को हटाने से पहले बोर्ड को आगंतुक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। वधियक आगंतुक को नदिशक की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार भी देता है, जैसा कि नदिशक कथि जा सकता है।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति:** अधिनियम के तहत प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। वधियक इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि बोर्ड के अध्यक्ष को आगंतुक द्वारा नामति कथि जाएगा।
- **NITE, मुंबई:** वधियक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (National Institute of Industrial Engineering- NITIE), मुंबई को IIM, मुंबई के रूप में वर्गीकृत करता है।

## UGC ने सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम मानदंड में संशोधन कथि

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता के नए नयिम जारी कथि हैं।
  - ये नयिम 2018 के वनियमों का स्थान लेते हैं।
  - इससे पहले सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के पात्र होने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को न्यूनतम योग्यता के रूप में पीएचडी डिग्री की आवश्यकता होती थी।
  - अब अगर उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो उन्हें UGC, औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (नेट के मामले में) या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नकियों द्वारा आयोजित नेट/सेट/SLET परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्त कथि जा सकता है।

## वश्वविद्यालय उद्योग लकिेज प्रणाली

- **वश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** ने भारतीय वश्वविद्यालयों के लिये सतत् और जीवत वश्वविद्यालय-उद्योग लकिेज प्रणाली पर मसौदा दशिा-नरिदेश जारी कथि।
- ये दशिा-नरिदेश **राष्ट्रीय शक्तिषा नीति** (National Education Policy- NEP) के उद्देश्यों के मद्देनजर जारी कथि गए हैं।
- अन्य बातों के अलावा NEP नवाचार को बढ़ावा देने और वदियार्थियों की क्षमता को बढ़ाने के लिये वश्वविद्यालय-उद्योग लकिेज प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- वश्वविद्यालय-उद्योग लकिेज प्रणाली के नमिनलखिति उद्देश्य हैं:
  - अनुसंधान और वकिस (R&D) को बढ़ावा देना।
  - शैक्षणिक और औद्योगिक प्रणालियों में वदियार्थियों के लिये इंटरनशिप एवं अप्रेंटिसशिप को बढ़ाना।
- अनुसंधान एवं वकिस को बढ़ावा देने के लिये दशिा-नरिदेश राज्य स्तर पर उद्योगों और वश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं वकिस समूहों का प्रस्ताव करते हैं।
  - ये क्लस्टर क्षेत्र की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे।
- प्रत्येक उद्योग एक वश्वविद्यालय संबंध सेल स्थापति करेगा और प्रत्येक वश्वविद्यालय एक उद्योग संबंध सेल स्थापति करेगा।
- क्षेत्र की तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन करने और क्षेत्रीय/स्थानीय प्रासंगिकता पर अनुसंधान करने के लिये दोनों नकियों को एक-दूसरे तथा अन्य हतिधारकों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता होगी।
- वदियार्थियों की इंटरनशिप और प्रशक्तिषुता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिये दशिा-नरिदेश वश्वविद्यालयी शक्तिषा में उद्योगों के अधिके एकीकरण का प्रस्ताव करते हैं। यह नमिनलखिति के माध्यम से कथि जाएगा:
  - वश्वविद्यालय बोर्डों पर प्रोफेसरों और सदस्यों के रूप में अत्यधिक अनुभवी उद्योग पेशेवरों की नियुक्ति।
  - उद्योगों के साथ प्रशक्तिषण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन।
  - उद्योगों और वश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक डिग्री कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं का प्रावधान।

- विश्वविद्यालय वदियार्थियों के लिये इंटरनशपि और अपरेंटसिशापि की ज़रूरतों को कार्यान्वति कर सकते हैं, चाहे वे कसिी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हों।
- विश्वविद्यालय वदियार्थियों को अवसरों से जोड़ने के लिये अधिक संस्थागत सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।

## सामाजिक न्याय

### संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश, 1950

- संसद ने संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) वधियक, 2022 और संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश (पाँचवाँ संशोधन) वधियक, 2022 पारति कयि।
- ये वधियक संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश, 1950 में हमिाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधति प्रावधानों में संशोधन करते हैं।
- तीसरे संशोधन बलि में सरिमौर ज़लि के ट्रांस गरी के हाटी समुदाय को हमिाचल प्रदेश में अनुसूचति जनजाति की सूची में शामिल कयि गया है।
- पाँचवें संशोधन वधियक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचति जनजातियों की सूची में धनुहार, धनुवार, कसिान, सौरा, संवरा और बझिया समुदायों को शामिल कयि गया है।
- वधियक में पंडो समुदाय के नाम के तीन देवनागरी संस्करण भी शामिल हैं।

### संवधान (अनुसूचति जाति) आदेश (संशोधन) वधियक, 2023

- संवधान (अनुसूचति जाति) आदेश (संशोधन) वधियक, 2023 को लोकसभा में पेश कयि गया।
  - वधियक संवधान (अनुसूचति जाति) आदेश, 1950 में छत्तीसगढ़ से संबंधति प्रावधानों में संशोधन करता है।
  - वधियक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महरा और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल कयि गया है।

### संवधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचति जाति आदेश संशोधन वधियक, 2023

- संवधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचति जनजाति आदेश संशोधन वधियक, 2023 और संवधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचति जाति आदेश संशोधन वधियक, 2023 लोकसभा में पेश कयि गए।
- वे क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचति जनजाति आदेश, 1956 और जम्मू-कश्मीर अनुसूचति जाति आदेश, 1956 में संशोधन करते हैं।
- संवधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचति जनजाति आदेश संशोधन वधियक, 2023 जम्मू और कश्मीर में गड़डा ब्राह्मण, कोली, पददारी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचति जनजातियों की सूची में जोड़ता है।
- संवधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचति जाति आदेश संशोधन वधियक, 2023 वाल्मिकी समुदाय को चूड़ा, बाल्मिकी, भंगी तथा मेहतर समुदायों के पर्याय के रूप में जोड़ता है। यह पर्याय केवल केंद्रशासति प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू होगा।

## रक्षा

### अंतर-सेवा संगठन वधियक, 2023

- रक्षा संबंधी स्थायी समति ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नयितरण और अनुशासन) वधियक, 2023 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है, जसिमें तीन सैन्य सेवाओं: थलसेना, नौसेना और वायु सेना में से कम-से-कम दो सेवाओं से संबंधति कर्मचारी होंगे।
- वधियक अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उनकी सेवा के बावजूद उनकी कमान के तहत सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक नयितरण रखने का अधिकार देता है। समति वधियक के प्रावधानों से सहमत थी।

## कृषि

### तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023

- कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समति ने 'तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- वधियक तटीय जलकृषि प्राधिकरण, 2005 में संशोधन करता है।
  - अधनियम तटीय जलीय कृषि को वनियमति करता है और इसके वनियमन के लिये एक प्राधिकरण की स्थापना करता है।
  - तटीय जलीय कृषि का तात्पर्य नयितरति स्थतियों में मछलियों को पालने और उनकी खेती करने से है।
  - समति के प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- **CRZ क्षेत्रों में कुछ जलीय कृषि गतिवधियों की अनुमति:** वधियक समुद्र के नो-डेवलपमेंट ज़ोन और खाड़ियों/नदियों/बैकवाटर के बफर ज़ोन में हैचरी, न्यूकलियस प्रजनन केंद्र तथा बरूड स्टॉक गुणन केंद्र स्थापति करने की अनुमति देता है।
- वधिाग ने कहा कि हालाँकि CRZ ने ऐसी गतिवधियों की अनुमति दी थी, लेकनि राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण ने कानून में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।

- समिति ने कहा कि इन गतिविधियों को वर्ष 1991 और 2011 की तटीय वनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं के तहत छूट दी गई थी तथा वधियक इन छूटों के लिये वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। समिति ने प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया।
- **परिसर में प्रवेश करने का अधिकार:** अधिनियम एक अधिकृत व्यक्त को किसी भी तटीय जलीय कृषि भूमि/परिक्षेत्र में प्रवेश करने और उसका नरीक्षण/सर्वेक्षण/उसे ध्वस्त करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिये उसे न्यूनतम 24 घंटे का नोटिस देना होगा।
  - वधियक नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करता है, बशर्ते कि कारण लिखित रूप में दर्ज किये जाएँ।
  - समिति ने पाया कि वधियक उन कारणों को परभाषित नहीं करता है जिनके तहत किसी अधिकारी को पूर्व सूचना के बिना प्रवेश करने के लिये अधिकृत किया जाएगा।
  - विभाग ने उत्तर दिया कि अनुमोदन केवल असाधारण मामलों में दिया जाएगा, जहाँ पूर्व सूचना नरीक्षण के उद्देश्य को वफिल कर देगी (जैसे कि अवैध एंटीबायोटिक का उपयोग)। हालाँकि समिति ने प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात का उल्लेख किया कि विभाग को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने चाहिये।

## कृषि मशीनीकरण पर रपिोर्ट

- कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति ने 'देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिये कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास' पर अपनी रपिोर्ट प्रस्तुत की।
  - कृषि का मशीनीकरण फसलों की उत्पादकता में सुधार करता है, वविकपूर्ण इनपुट उपयोग सुनिश्चित करता है और किसानों को नरिवाह खेती के बजाय व्यावसायिक कृषि करने में सक्षम बनाता है।

### समिति के नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखित बढि शामिल हैं:

- **कृषि मशीनीकरण की स्थिति:** अगस्त 2022 तक भारत में 47% कृषि गतिविधियाँ मशीनीकृत हैं। यह चीन (60%) और ब्राज़ील (75%) जैसे अन्य विकासशील देशों से काफी कम है।
  - इसके अलावा छोटी और सीमांत कृषि जोत (दो हेक्टेयर से कम) देश में कुल परचालन (ऑपरेशनल) जोत का 86% हसिसा है। समिति ने यह भी कहा कि जब तक छोटी जोत के लिये उपयुक्त मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जाती या पर्याप्त कृषि भूमिका समेकन नहीं होता, छोटे किसानों के लिए आवश्यक मशीनें खरीदना मुश्किल होगा।
  - समिति ने यह भी कहा कि देश को 75-80% मशीनीकरण हासिल करने में लगभग 25 वर्ष और लगेंगे।
  - उसने कहा कि किसानों को अतरिकित फसलों की बुवाई करने में सक्षम बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जो कृषि को आकर्षक और लाभदायक बनाएंगी।
  - कृषि मशीनीकरण पर उप-मशिन जैसे वभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनज़र कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को छोटे खेतों के मशीनीकरण को प्राथमकता देनी चाहिये। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को 25 वर्षों से कम समय में 75% मशीनीकरण हासिल करना चाहिये।

### वभिन्न फसलों में मशीनीकरण का स्तर:

| फसल  | चावल | गेहूँ | दालें | गन्ना | कुल |
|------|------|-------|-------|-------|-----|
| स्तर | 53%  | 69%   | 41%   | 35%   | 47% |

- **कृषि उपकरणों की पोर्टेबलिटी:** चूँकि कृषि मशीनरी महँगी है, इसलिये छोटे किसानों के लिये कृषि उपकरण खरीदना मुश्किल होता है।
  - समिति ने कहा कि सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक शुरू किये हैं, जहाँ किसान मशीनें साझा कर सकते हैं। अब तक 37,097 कस्टम हायरिंग सेंटर, जनिमें 17,727 फार्म मशीनरी बैंक शामिल हैं, स्थापति किये जा चुके हैं।
  - एक सुस्थापति केंद्र लगभग 100-200 किसानों को मशीनें प्रदान कर सकता है।
  - समिति ने कहा कि लगभग सभी राज्यों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापति किये गए हैं। हालाँकि अभी तक उनका लाभ ज़िला, तालुका, पंचायत और ग्राम सभा स्तर तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचा है। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार ऐसी योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार करे और आस-पास के केंद्रों/बैंकों का पता लगाने तथा उनसे संपर्क करने के लिये एप वकिसति करे।

## ववित्त

### FPI नविश पर परामर्श पत्र जारी

- **भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोरड (SEBI)** ने कॉरपोरेट बॉण्ड में वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों (FPI) के नविश पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
  - सेबी का कहना है कि कॉरपोरेट बॉण्ड में सेकेंडरी मार्केट (मौजूदा प्रतभूतियों की खरीद और बिक्री के लिये) लेनदेन मुख्य रूप से ऑफलाइन होता है। इसमें दवपिक्षीय आधार पर मूल्यों पर सौदेबाज़ी शामिल होती है।
- परामर्श पत्र में यह प्रस्ताव है कि FPI के लिये यह अनविारय किया जाए कि ववह रक्विस्ट फॉर कोट (RFQ) प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉरपोरेट बॉण्ड में अपना कम-से-कम 10% सेकेंडरी मार्केट लेनदेन करे।
  - वे एक तमिाही में अपने सेकेंडरी मार्केट लेन-देन का 10% हसिसा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिये पूरा करेंगे।
- RFQ प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे मूल्य खोज में मदद मिलती है और लेन-देन में पारदर्शति आती है।

## सेबी की ESG रेटिंग प्रदाताओं के वनियमन हेतु रूपरेखा

- भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोरड (SEBI) ने SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) (संशोधन) वनियमन, 2023 को अधिसूचित किया।
- यह SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) वनियमन, 1999 में संशोधन करता है।
- ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के वनियमन का प्रावधान करते हैं।
- ऐसी एजेंसियाँ उन प्रतभूतियों को रेटिंग प्रदान करती हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है या जो पहले से ही सूचीबद्ध हैं।
- 2023 का संशोधन **प्रयावरण, सामाजिक और शासन (ESG)** रेटिंग प्रदान करने वाली एजेंसियों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- ये रेटिंग्स किसी कंपनी या उसकी प्रतभूतियों से संबंधित शासन संबंधी जोखिम, सामाजिक जोखिम या जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रोफाइल के बारे में राय प्रस्तुत करती हैं।

### प्रमुख विशेषताओं में नमिन शामिल हैं:

- **पंजीकरण:** ESG रेटिंग प्रदाताओं को सेबी के साथ पंजीकृत होना होगा। SEBI को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को:
  - **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक कंपनी के रूप में नमिन होना चाहिये।
  - उसकी मुख्य गतिविधियों के रूप में ESG रेटिंग होनी चाहिये।
  - उसे अपनी व्यवसाय योजना SEBI को जमा करनी होगी।
- **एजेंसियों की ज़मिमेदारियाँ:** ESG रेटिंग प्रदाता को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हतियों के टकराव को रोकने के लिये कुछ कदम उठाने होंगे। इनमें नमिनलखित से संबंधित खुलासे शामिल हैं:
  - वेबसाइट पर ESG रेटिंग और उनके प्रकार।
  - ESG रेटिंग प्रदान करने की पद्धति।
  - ESG रेटिंग पद्धति में कोई बदलाव।
  - ग्राहकों के साथ मुआवज़े की व्यवस्था की सामान्य प्रकृति।
- इसके अलावा उन्हें हतियों के संभावित टकरावों की पहचान करनी चाहिये, उनका खुलासा करना चाहिये और (जहाँ तक संभव हो) उन्हें टालना/कम करना चाहिये।
- **ESG रेटिंग्स की समीक्षा:** रेटिंग प्रोवाइडर को प्रत्येक प्रकाशित ESG रेटिंग की सालाना समीक्षा करनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इसे अधिक बार किया जा सकता है।
  - ESG रेटिंग को तब तक वापस नहीं लिया जाना चाहिये जब तक कि जारीकर्ता (जिसकी प्रतभूत रेटिंग है) कंपनी बंद न हो जाए, या दूसरी कंपनी में उसका वलिय या एकीकरण न हो जाए।

## साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलेपन ढाँचे पर परामर्श पत्र जारी

- **भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोरड (सेबी)** ने सेबी वनियमि संस्थाओं के लिये समेकित साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढाँचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। इन संस्थाओं में ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं।
  - परामर्श पत्र में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है और यह सेबी द्वारा वनियमि संस्थाओं के लिये यह महत्वपूर्ण है।
  - साथ ही IT बुनियादी ढाँचे और डेटा प्रोटेक्शन मुख्य चिंता बन गए हैं।
- साइबर खतरों और इनसे जुड़े मामलों से निपटने के लिये व्यवस्था को मज़बूत करना आवश्यक है तथा इसके लिये एक रूपरेखा तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढाँचे की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- **संपत्तियों की पहचान:** वनियमि संस्थाओं को महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान और उनका वर्गीकरण करना चाहिये। ये परसंपत्तियों नमिनलखित पर आधारित होनी चाहिये:
  - व्यावसायिक संचालन के लिये उनकी संवेदनशीलता और गंभीरता।
  - सेवाएँ।
  - डेटा प्रबंधन।
- **साइबर अवसंरचना की सुरक्षा:** वनियमि संस्थाओं को नेटवर्क विभाजन तकनीक (यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये नेटवर्क को कई खंडों में विभाजित करना) को लागू करना होगा। इससे संवेदनशील जानकारी और सेवाओं तक पहुँच प्रतबंधित हो जाएगी।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)** द्वारा सूचीबद्ध एक ऑडिटर, ढाँचे के तहत नरिधारित मानकों के अनुपालन का आवर्ती ऑडिट करेगा।
- **साइबर खतरों का पता लगाना:** वनियमि संस्थाएँ एक सुरक्षा संचालन केंद्र के माध्यम से उचित सुरक्षा तंत्र स्थापित करेंगी।
- यह सुरक्षा संबंधी मामलों की नगिरानी करेगा और असामान्य गतिविधियों का समय पर पता लगाना सुनिश्चित करेगा।
- केंद्र की कार्यात्मक दक्षता हर छह महीने में मापी जानी चाहिये।
- सभी वनियमि संस्थाओं को एक अप-टू-डेट साइबर संकट प्रबंधन योजना बनानी होगी।

## डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी

- **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिये कार्ड नेटवर्क के साथ कार्ड जारीकर्ताओं की व्यवस्था पर एक सर्कुलर जारी किया है।
- अधिकृत कार्ड नेटवर्क डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिये बैंकों एवं गैर-बैंकों (कार्ड जारीकर्ताओं) के साथ गठबंधन करते हैं।

- अधिकृत कार्ड नेटवर्क में मास्टरकार्ड, वीजा, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस शामिल हैं।
- कार्ड नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता तय करता है।
- RBI ने पाया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्यूअर के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों को विकल्प प्रदान करने के लिये अनुकूल नहीं है।
- **RBI ने प्रस्ताव दिया है कि:**
  - कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जिससे उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाएँ जारी करने से रोका जा सके।
  - कार्ड जारीकर्ता को कई नेटवर्कों पर कार्ड जारी करना होगा।
  - पात्र ग्राहक के पास एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनाव का विकल्प होना चाहिये।
  - कई नेटवर्क पर कार्ड जारी करना और ग्राहक को चुनने का विकल्प प्रदान करना 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

## RBI द्वारा रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर रपिपोर्ट जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर अंतर-वर्गीय समूह की एक रपिपोर्ट जारी की।
- रपिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिये रुपए जैसी मुद्राओं के इस्तेमाल की संभावना तलाशी जा सकती है।
- **प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:**
  - **व्यापार समझौतों के लिये मानकीकृत दृष्टिकोण:** रपिपोर्ट में कहा गया है कि RBI को स्थानीय मुद्राओं में व्यापार व्यवस्था के लिये विभिन्न न्यायालयों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।
    - रपिपोर्ट में बहुपक्षीय/द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से जुड़े प्रस्तावों की जाँच के लिये एक समान टेम्पलेट अपनाने का सुझाव दिया गया है।
    - ऐसे समझौतों में चालान, नपिटान और रुपए एवं समकक्ष देशों की स्थानीय मुद्राओं में भुगतान शामिल हो सकता है।
- **गैर-निवासियों द्वारा रुपया खाता खोलना:** रपिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बाहर भारतीय मुद्रा के खाते खोलना उसके अंतरराष्ट्रीयकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - उसने सुझाव दिया कि गैर-निवासियों को शुरु में अधिकृत डीलरों की विदेशी शाखाओं में भारतीय मुद्रा के खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
  - ऐसे डीलरों को RBI द्वारा विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिये अधिकृत किया जाता है। बाद में गैर-निवासियों को किसी भी विदेशी बैंक में ये खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
- **अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिये RTGS का इस्तेमाल:** रयिल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) धनराशिपर किसी सीमा के बिना इंटरबैंक फंड ट्रांसफर प्रदान करता है।
  - रपिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिये RTGS के उपयोग का पता लगाया जा सकता है।
  - उसने सीमा पार नपिटान के लिये UPI के उपयोग को बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

## साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति ने अपनी रपिपोर्ट सौंपी

वर्तित संबंधी स्थायी समिति ने 'साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं' पर अपनी रपिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति बटु शामिल हैं:

- **साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी:** समिति ने कहा कि साइबर सुरक्षा के वर्तमान वनियमन परदृश्य में कई एजेंसियों और नकियाय शामिल हैं। इसके लिये उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समन्वय की ज़रूरत है। कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण या एजेंसी पूरी तरह से साइबर सुरक्षा हेतु समर्पित नहीं है। समिति ने एक केंद्रीकृत **साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CPA)** स्थापित करने का सुझाव दिया। अथॉरिटी राज्यों तथा नजि कषेत्र की संस्थाओं के सहयोग से मज़बूत साइबर सुरक्षा नीतियों, दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करेगी।
- **डेटा शेरिंग:** सर्च इंजनों और बड़ी टेक कंपनियों की मौजूदगी के साथ-साथ डिजिटल परदृश्य के वसितार ने साइबर अपराध के प्रत डिजिटल इकोसिस्टम की संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है। इसके लिये सर्च इंजनों और ग्लोबल टेक कंपनियों की ज़मिमेदारियों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है। समिति ने सुझाव दिया कि एप्लिकेशन स्टोर्स के लिये उन सभी एप्लीकेशंस का वसितृत मेटाडेटा और जानकारी साझा करना अनविर्य कथिा जाना चाहिये जनिहें वे अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करते हैं। इस डेटा रेपोजिटरी से रेगुलेटर्स को यह शकत मिलेगी कि वे संभावित सुरक्षा संवेदनशीलता की पहचान और ज़रूरी उपाय करें। इसके अतरिकृत टेक कंपनियों को नमिनलखिति समाधान करने चाहिये:
  - उन्हें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को नयिमति अपडेट और पैच करना चाहिये।
  - अपने एप्लिकेशन स्टोर्स में मंजूरी के लिये एक कठोर जांच प्रक्रिया लागू करनी चाहिये।
- **सर्वसि प्रदाताओं का वनियमन:** समिति ने कहा कि साइबर सुरक्षा मामलों में थर्ड पार्टी सर्वसि प्रदाताओं पर पर्याप्त नयित्रण रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। उसने सुझाव दिया कि इन सर्वसि प्रदाताओं, जनिमें बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियों भी शामिल हैं, की नगिरानी एवं नयित्रण के लिये वनियमन शकतियों को बढ़ाया जाए। समिति ने यह भी कहा कि बड़ी टेक कंपनियों को अपने सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) जैसे वनियमन के इनपुट पर वचिार करना चाहिये।

## नागरिक उड्डयन

## राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016



- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने [राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016](#) में संशोधन अधिसूचना किये हैं।
- यह नीति हवाई नेवगेशन सेवाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण का प्रावधान करती है।
- नीति के अनुसार, 1 जनवरी, 2019 से सभी भारतीय पंजीकृत विमानों को GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेवगेशन (GAGAN) के साथ सक्षम होना चाहिये।
- नेवगेशन प्रणाली को बढ़ाने के लिये गगन ग्राउंड स्टेशनों का उपयोग करता है।
- संशोधन में दो श्रेणियों के विमानों को गगन से छूट दी गई है।
- इनमें वे विमान शामिल हैं जिन्हें पर्यटकीय संबंधी चुनौतियों के कारण गगन के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता है, और वे विमान, जो 1 जुलाई, 2021 से पहले नरिमति किये गए हैं।

## ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों का विकास

- परविहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी सर्टिडिगि समिति ने 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के विकास तथा डिफेंस हवाईअड्डों में सविलि इन्क्लेव्स से संबंधित मुद्दों' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  - ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे खाली/अवकिसति भूमि पर वकिसति किये जाते हैं और उनकी कमीशनगि/योजना शून्य से की जाती है।
  - ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के पास हवाईअड्डे के विकास के लिये ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रनवे और टर्मिनल भवन आर्दमौजूद होते हैं।
- समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति बढि शामिल हैं:
  - ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के लिये व्यापक नीति: समिति ने कहा कि ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों का पुनरुद्धार, वसितार और आधुनिकीकरण करना आवश्यक है।
    - लेकिन उन्हें कषेत्र वसितार, डिज़ाइन की सीमाओं और नषिपादन जोखमिों के लहिज़ से बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - हालाँकि ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के लिये कोई वशिषिट नीति नहीं है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP), 2016 और भारतीय वमिनपततन प्राधकिरण (AAI) अधिनियम, 1994 में ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिये नरिदेशक सदिधांत मौजूद हैं। समिति ने कहा कि एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिये जो यह तय करे कि ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड में से कौन से हवाईअड्डे वकिसति किये जाएँ।
- समन्वय से संबंधित चुनौतियाँ और परयोजनाओं में देरी: समिति ने कहा कि मंत्रालय को हवाईअड्डे बनाने के लिये राज्य सरकारों के साथ समन्वय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इनमें भूमि अधिग्रहण और आवंटन में देरी तथा जहाँ केंद्र सरकार पहले ही साइट मंजूरी दे चुकी है, वहाँ सैधांतिकि मंजूरी जमा करने में देरी शामिल है।
- पुनरवास और पुनरस्थापन की समस्याओं के कारण भी परयोजना में देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक मुकदमेबाज़ियाँ होती हैं।

## वदिशी मामले

### भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

- वदिश मामलों की स्थायी समिति ने [नेबरहुड फरसट नीति](#) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेबरहुड फरसट नीति की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई थी। अफगानसितान, बांग्लादेश, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकसितान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये इस अवधारणा की कल्पना की गई थी।

### समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- आतंकवाद और गैरकानूनी प्रवास: समिति ने कहा कि पिछले तीन दशकों में भारत को अपने पड़ोसी देशों से खतरों, तनाव और आतंकवादी एवं उग्रवादी हमलों की आशंकाओं का सामना करना पड़ा है।
  - अवैध प्रवास और हथियारों एवं नशीली पदार्थों की तसकरी की चुनौतियों के लिये सीमाओं पर बेहतर सुरक्षा अवसंरचना की ज़रूरत है।
  - समिति ने सीमावर्ती कषेत्रों में अवैध प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की नगिरानी का सुझाव दिया।
- अवैध प्रवास को रोकने के लिये वदिश मंत्रालय को गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ नकिटता से समन्वय करना चाहिये।
- चीन और पाकसितान के साथ संबंध: चीन और पाकसितान के साथ भारत के द्वपिकषीय संबंध वविदासपद मुद्दों से ग्रस्त रहे हैं।
- पाकसितान से उत्पन्न आतंकवाद चिति का मुख्य वषिय है।
- समिति ने कषेत्रीय और बहुपकषीय संगठनों के साथ जुड़ने का सुझाव दिया ताकि आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकसितान की भूमिका के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके।
- नेबरहुड फरसट नीति के तहत आतंकवाद से मुकाबले के लिये एक साझा मंच स्थापति करने का प्रयास किये जाना चाहिये। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को पाकसितान के साथ आर्थिक संबंध बेहतर करने चाहिये।
- सीमा अवसंरचना में नविश: समिति ने भारत की सीमा अवसंरचना की कमी और सीमावर्ती कषेत्रों को स्थिर एवं वकिसति करने की ज़रूरत पर गौर किये।
- भारत के पड़ोसियों के साथ जुड़ाव के लिये कनेक्टविटि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सीमा पारीय सड़कों, रेलवे और अंतरदेशीय जलमार्ग तथा बंदरगाहों में सुधार की ज़रूरत है।
- इसने कषेत्रीय कनेक्टविटि के तहत कनेक्टविटि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये कषेत्रीय विकास फंड बनाने की वयावहारकिता तलाशने का सुझाव दिया।

## संस्कृति

## राष्ट्रीय अकादमियों के कामकाज पर रिपोर्ट

- परविहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने 'राष्ट्रीय अकादमियों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थानों के कामकाज' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- राष्ट्रीय अकादमियाँ विभिन्न कला रूपों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये स्थापित स्वायत्त निकाय हैं। वे संस्कृति मंत्रालय की प्रशासनिक देख-रेख में काम करते हैं। ये हैं:
  - संगीत नाटक अकादमी।
  - साहित्य अकादमी।
  - ललित कला अकादमी।
  - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय।
  - सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र।
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र।
  - कलाक्षेत्र फाउंडेशन।

### समिति के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- बजटीय आवंटन और मुद्दे:** समिति ने पाया कि संस्कृति मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के लिये 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं जो कुल केंद्रीय बजट का केवल 0.075% है।
  - यह देखा गया कि यह सांस्कृतिक मंत्रालयों के लिये 2% से 5% के वैश्विक आवंटन से कम था।
  - इसके अलावा समिति ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय अकादमियों के लिये 401 करोड़ रुपए का संयुक्त बजटीय आवंटन अपर्याप्त था।
  - उसने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों की दक्षता एवं पहुँच बढ़ाने के लिये उनके बजटीय आवंटन में वृद्धि की जाए।
  - उसने अकादमियों को सुझाव दिया कि उन्हें CSR फंड और दान एवं अनुदान के लिये नज्दी भागीदारी के विकल्प तलाशने चाहिये।
  - समिति ने यह भी कहा कि धन एकत्रित करने वाले कार्यक्रम तथा समारोह कराए जाएँ और OTT प्लेटफार्मों की राजस्व क्षमता की जांच की जाए।
- प्रमुखों का चुनाव और कार्यकाल:** समिति ने पाया कि राष्ट्रीय अकादमियों के अध्यक्ष/अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया और पदाधिकारियों का कार्यकाल विभिन्न राष्ट्रीय अकादमियों में भिन्न-भिन्न होता है।
  - प्रत्येक अकादमी की गवर्नगि काउंसिल की संरचना भी अलग-अलग होती है।
  - इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये समिति ने सफारिश की कि सरकार अध्यक्ष/राष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल के साथ-साथ गवर्नगि काउंसिल के गठन एवं संचालन पर नश्रिचित दिशा-निर्देश तैयार करे।
  - इसने प्रत्येक संस्थान की गवर्नगि काउंसिल में एक संसद सदस्य को शामिल करने की भी सफारिश की।

## ऊर्जा

### वदियुत (संशोधन) नियम, 2023

- वदियुत मंत्रालय ने वदियुत (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। ये नियम वदियुत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए वदियुत नियम, 2005 में संशोधन करते हैं।
- अधिनियम वदियुत के लिये लाइसेंस और टैरिफ को वनियमिति करता है।
- नियमों के प्रमुख बदलावों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - कैप्टिव उत्पादकों के लिये योग्यता के मानदंड:** नियमों के तहत एक बजिली संयंत्र कैप्टिव उत्पादन संयंत्र बनने के योग्य हो सकता है, अगर कैप्टिव उपयोगकर्ता उत्पादन संयंत्र के कम-से-कम 26% हसिसे का मालिक हो।
    - कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का अर्थ है, किसी के स्वयं के उपयोग के लिये स्थापित किया गया बजिली संयंत्र। संशोधन में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ संयंत्र किसी कैप्टिव उपयोगकर्ता की सहयोगी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, कैप्टिव उपयोगकर्ता के पास उस कंपनी का कम-से-कम 51% हसिसा होना चाहिये।
    - इसके अलावा मौजूदा कैप्टिव उपयोगकर्ता की सहायक कंपनी को भी कैप्टिव उपयोगकर्ता माना जाएगा।
  - लाइसेंस की वैधता:** अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य आयोग वदियुत संचारित, वतितरि या व्यापार करने के लिये लाइसेंस दे सकते हैं।
  - केंद्रीय या राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज और सरकारी कंपनियों जैसी संस्थाओं को डीमड लाइसेंसधारी माना जाता है।
  - संशोधन नरिदषिट करता है कि:
    - पहली श्रेणी में लाइसेंस की वैधता लाइसेंस में ही नरिदषिट की जाएगी।
    - डीमड लाइसेंस 25 वर्षों के लिये वैध होंगे।
  - अन्य लाइसेंस मौजूदा समझौतों के अनुसार वैध और नवीनीकृत होंगे।
  - डीमड लाइसेंस समाप्ति के बाद अगले 25 वर्षों के लिये स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे, जब तक कि उन्हें रद्द न किया जाए।
  - अगर लाइसेंसधारी अनुरोध करता है तो नवीनीकरण की अवधिकम हो सकती है।
  - ये नियम टैरिफ-आधारित बोली के माध्यम से चुने गए ट्रांसमिशन डेवलपर पर लागू नहीं होते हैं।
  - समान RE टैरिफ:** नियमों के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) टैरिफ की गणना डसिकॉम को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर की जाती है।

- यह संशोधन टैरफि गणना के आधार को आपूर्तिकी गई ऊर्जा से अनुसूचित ऊर्जा में बदलता है।
- RE टैरफि डिसिकॉम और उत्पादन कंपनी (जेनको) के बीच मध्यस्थ द्वारा नरिधारति कथि जाएगा। पहले यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नरिधारति कथि गया था।
- RE टैरफि पहले केवल 'आर.ई. जेनको' पर लागू था।
- संशोधन नरिदषिट करता है कि RE टैरफि केवल डिसिकॉम और ओपन एक्सेस प्रदाताओं पर लागू होगा।
- इसके अलावा ईंधन लागत में होने वाले बदलाव में ईंधन और बजिली खरीद समायोजन अधिभार की गणना को शामिल कथि जाएगा।

## पशु कल्याण

### पशु क्रूरता रोकने के लयि मसौदा

- मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने पशु क्रूरता नविवरण समति नयिम, 2023 के मसौदे पर टपिपणयिँ आमंत्रति की हैं।
- मसौदा नयिम पशु क्रूरता नविवरण अधिनयिम, 1960 के तहत तैयार कथि गए हैं।
- मसौदा नयिम पशु क्रूरता की रोकथाम (पशु क्रूरता की रोकथाम हेतु समति की स्थापना और वनियिमन) नयिम, 2001 का स्थान लेते हैं।
- 2001 के नयिमों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक ज़िले में पशुओं के साथ क्रूरता की रोकथाम के लयि समति (SPCA) बनाने की आवश्यकता है।

#### मसौदा नयिमों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **SPCA के कार्य:** 2001 के नयिमों के अनुसार, SPCA अधिनयिम के प्रावधानों को लागू करने में सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और स्थानीय अधिकारयिँ की सहायता करने जैसे कार्य करेगी। इन कार्यों के अलावा मसौदा नयिम नरिदषिट करते हैं कि SPCA को यह भी करना होगा:
  - पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी प्राप्त करने के लयि 24x7 हेल्पलाइन नंबर शुरू करना।
  - बीमार, घायल या रोगग्रस्त आवारा जानवरों के लयि एम्बुलेंस सेवा चलाना।
  - ज़िले में पशु जन्म नयितरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- **SPCA की प्रबंधन समतियिँ:** 2001 के नयिम नरिदषिट करते हैं कि राज्य सरकार या ज़िला स्थानीय प्राधिकरण को SPCA की प्रबंध समति गठति करने का अधिकार है।
  - मसौदा नयिम नरिदषिट करते हैं कि प्रबंधन समति में 17 सदस्य (अध्यक्ष सहति) होने चाहयि।
  - अध्यक्ष उपायुक्त/ज़िला मजसि्टरेट/ज़िला कलेक्टर होंगे।
  - अन्य सदस्यों में राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, ज़िला वन वभिग के प्रतनिधि, ज़िला अभयोजन अधिकारी, पशु कल्याण संगठनों का प्रतनिधित्व करने वाले चार सदस्य तथा पशु कल्याण में लगे तीन प्रतषिटति व्यक्त शिामलि हैं।
  - अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले ज़िलों में एक सदस्य अर्द्धसैनिक बल अथवा सीमा सुरक्षा बल से नामति कथि जाएगा।
- **अस्पताल:** 2001 के नयिमों के अनुसार, SPCA अस्पताल और पशु आश्रयों का नरिमाण करेगी, जसिमें एक पूरणकालिक पशु चकित्सक तथा एक प्रशासक होना चाहयि। मसौदा नयिमों में नरिदषिट कथि गया है कि अस्पतालों में बड़े जानवरों के लयि शेड, कुत्ताघर तथा बाड़े होने चाहयि। उनके पास घायल/रोगी जानवरों के लयि बाड़े भी होने चाहयि।

## वज्जान एवं तकनीक

### राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति, 2023

- प्रधान वैज्जानिक सलाहकार कार्यालय ने राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति, 2023 का मसौदा जारी कथि है।
- डीप टेक स्टार्टअप प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगकियिँ का उपयोग करता है जनिहें अभी तक व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लयि विकसति नहीं कथि गया है।
  - इसमें वसितारति विकास समय-सीमा शिामलि है और यह अत्यधिक पूंजी गहन है।

#### नीति की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति बढि शिामलि हैं:

- **अनुसंधान और विकास:** नीति में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढाने का प्रस्ताव है।
  - यह नमिनलखिति के माध्यम से प्रौद्योगकि व्यावसायीकरण को बढाने का भी प्रयास करता है:
    - शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच साझेदारी।
    - सार्वजनिक रूप से वतितपोषति अनुसंधान के व्यावसायीकरण के लयि दशिा-नरिदेश।
    - रणनीतिक क्षेत्रों के लयि डीप टेक स्टार्टअप ने प्रदर्शन और परीक्षण हेतु परीक्षण स्थलों तक पहुँच प्रतबिधति कर दी है।
    - इन क्षेत्रों के लयि नीति मानकीकृत, क्षेत्र परीक्षण और प्रयोग स्थलों का एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
- **बौद्धिक संपत्ति (IP) अधिकार:** भारत की IP व्यवस्था को मज़बूत करने के लयि नीति के नमिनलखिति लक्ष्य हैं:
  - एकीकृत IP ढाँचे के लयि एकल वडिो प्लेटफॉर्म स्थापति करना।
  - सीमा पार IP सुरक्षा को मज़बूत करना।
  - पेटेंट आवेदन प्रक्रया को सुव्यवस्थति करना।
- **वतितपोषण:** मसौदा नीति में कहा गया है कि डीप टेक स्टार्टअप के लयि लक्षति दीर्घकालिक वतितपोषण की सुवधि प्रदान करना आवश्यक है। इसके नमिनलखिति उद्देश्य हैं:

- सरकारी अनुदान भुगतान को लगातार हासिल करने के लिये एक मंच बनाना ।
  - कॉरपोरेट सोशल रसिपांसबिलिटी फंड्स को वजिज्ञान-आधारति अनुसंधान संस्थानों के लिये इस्तेमाल करना ।
  - गहन तकनीकी नविशों के लिये समर्पति धनराशिका एक कोष बनाना ।
  - सार्वजनिक और परोपकारी संस्थाओं से नविश प्रापत करने के लिये प्रौद्योगिकी प्रभाव बॉण्ड्स का उपयोग करना ।
- **मुक्त व्यापार समझौते:** इस नीतिका उद्देश्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स को मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल करके वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाना है ।
  - इसमें डीप टेक स्टार्टअप्स द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के लिये आयात नरिभरता और आपूर्तिशृंखला की कमज़ोरियों को कम करने का भी प्रस्ताव है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-july-2023>

